

15वें वित्त आयोग की सफ़ारिशें: संसाधन आवंटन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से आगामी पाँच वर्ष की अवधि के लिये करों के वितरण पूल में राज्यों की हस्तिसेदारी को 41 प्रतिशत तक बनाए रखने से संबंधित 15वें वित्त आयोग की सफ़ारिश को स्वीकार कर लिया है।

- 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट हाल ही में संसद में प्रस्तुत की गई है।
- इसके अलावा सरकार ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिये एक अलग नॉन-लेप्सेबल फंड के निर्माण को भी मंजूरी दी है।

15वाँ वित्त आयोग

- वित्त आयोग (FC) एक संवैधानिक निकाय है, जो केंद्र और राज्यों के बीच तथा राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के वितरण के लिये वधि और सूत्र निर्धारित करता है।
- संवैधानिक अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना आवश्यक है।
- 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नवंबर, 2017 में एन.के. सहि की अध्यक्षता में किया गया था। इसकी सफ़ारिशें वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये मान्य होंगी।

प्रमुख बट्टि

वर्टिकल हस्तिसेदारी (केंद्र और राज्यों के बीच कर की हस्तिसेदारी)

- 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हस्तिसेदारी को 41 प्रतिशत बनाए रखने की सफ़ारिश की है, जो केंद्र के वित्त वर्ष 2020-21 में दी गई अंतरिम रिपोर्ट के समान है।
 - यह राशा वर्तमान वितरण पूल के 42 प्रतिशत के स्तर के समान ही है, जिसकी सफ़ारिश 14वें वित्त आयोग द्वारा की गई थी।
- हालाँकि इसमें जम्मू-कश्मीर राज्य की स्थिति में बदलाव के बाद बने नए केंद्रशासित प्रदेशों (लद्दाख और जम्मू-कश्मीर) की स्थिति के मद्देनज़र 1 प्रतिशत का आवश्यक समायोजन भी किया गया है।

हॉरिज़ेंटल हस्तिसेदारी (राज्यों के बीच कर का वभाजन)

- राज्यों के बीच कर राजस्व के वभाजन के लिये आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है, उसके मुताबिक राजस्व हस्तिसेदारी का निर्धारण करते समय जनसांख्यिकीय प्रदर्शन को 12.5 प्रतिशत, आय के अंतर को 45 प्रतिशत, जनसंख्या और कषेत्रफल प्रत्येक के लिये 15 प्रतिशत, वन और पारिस्थितिकी के लिये 10 प्रतिशत तथा कर एवं राजकोषीय प्रयासों के लिये 2.5 प्रतिशत भार दिया जाएगा।

राज्यों के लिये राजस्व घाटा अनुदान

- राजस्व घाटा अनुदानों की संकल्पना राज्यों के राजस्व खातों पर उन राजकोषीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिये की गई है, जिसकी पूर्ति उनके स्वयं के कर और गैर-कर राजस्व तथा संघ से उनको प्राप्त होने वाले कर राजस्व के बावजूद नहीं हो पाती है।
- सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय का अंतर राजस्व घाटा कहलाता है।
- आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिये लगभग 3 ट्रिलियन रुपए राजस्व घाटा अनुदान की सफ़ारिश की है।
 - राजस्व घाटे के अनुदान के लिये योग्य राज्यों की संख्या वित्त वर्ष 2022 के 17 से घटकर वर्ष 2026 तक 6 रह जाएगी।

राज्यों के लिये प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन एवं अनुदान

- ये अनुदान मुख्यतः चार वषियों के इर्द-गिर्द घूमते हैं।
- पहला वषिय सामाजिक क्षेत्र है, जहाँ स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- दूसरा वषिय ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जहाँ कृषि और ग्रामीण सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित किया है।
 - ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें देश की दो-तर्हिई आबादी, कुल कार्यबल का 70 प्रतिशत और राष्ट्रीय आय का 46 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।
- तीसरा वषिय शासन और प्रशासनिक सुधार है, जिसके तहत आयोग ने न्यायपालिका, सांख्यिकी और आकांक्षी ज़िलों तथा ब्लॉकों के लिये अनुदान की सफ़ारिश की है।
- इस श्रेणी में बजली क्षेत्र के लिये आयोग द्वारा वकिसति एक प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रणाली शामिल है, जो अनुदान से संबंधित नहीं है, बल्कि यह राज्यों को अतिरिक्त उधार प्राप्त करने के लिये एक महत्वपूर्ण बडिे प्रदान करती है।

राजस्व में केंद्र की हसिसेदारी

- 15वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को कया गया कुल हसुतांतरण (कर वतरण + अनुदान) केंद्र सरकार की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 34 प्रतिशत है, जसिसे केंद्र सरकार के पास अपनी आवश्यकताओं और राष्ट्रीय विकास प्राथमकताओं के दायतित्वों को पूरा करने के लिये पर्याप्त राजस्व बचता है।

स्थानीय सरकारों को अनुदान

- आयोग ने अपनी सफ़ारिशों में नगरपालिकाओं और स्थानीय सरकारी नकियों के लिये अनुदान के साथ-साथ, नए शहरों के इन्क्यूबेशन हेतु प्रदर्शन-आधारित अनुदान तथा स्थानीय सरकारों के लिये स्वास्थ्य अनुदान को भी शामिल किया है।
- शहरी स्थानीय नकियों के लिये अनुदान की व्यवस्था के तहत मूल अनुदान केवल उन शहरों/कस्बों के लिये प्रस्तावित है, जिनकी आबादी दस लाख है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को 100 प्रतिशत अनुदान मिलियन-प्लस सटिज़ चैलेंज फंड (MCF) के माध्यम से प्रदर्शन के आधार पर दया जाएगा।
 - दस लाख से अधिक आबादी के शहरों का प्रदर्शन उनकी वायु गुणवत्ता में सुधार और शहरी पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि भापदंडों के आधार पर मापा जाएगा।

चुनौती

- प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन, स्वतंत्र नरिणय और नवाचार को प्रभावित करता है। राज्य की उधार लेने की क्षमता पर कसिी भी प्रकार के प्रतबिंध से राज्य द्वारा कये जाने वाले खर्च पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जसिसे राज्य का विकास प्रभावित होगा, परिणामस्वरूप यह सहकारी वित्तीय संघवाद को कमज़ोर करेगा।
- आयोग द्वारा एक ओर राज्यों का आकलन उनके प्रदर्शन के आधार पर करने की बात की गई है, वहीं वह केंद्र सरकार के संबंध में राजकोषीय नरिणयों के लिये कोई भी उत्तरदायतित्व नरिधारित नहीं किया गया है।

हॉरजेंटल वतरण मापदंड

जनसंख्या

- कसिी राज्य की जनसंख्या, उस राज्य की सरकार के लिये अपने नागरिकों को बेहतर सेवाएँ उपलब्ध कराने हेतु अधिक व्यय करने की आवश्यकता को दर्शाती है, यानी जसि राज्य की जनसंख्या जतिनी अधिक होगी राज्य सरकार को उतना ही अधिक व्यय करना होगा।
- यह एक सरल और पारदर्शी संकेतक भी है, जसिका महत्वपूर्ण समकारी प्रभाव है।

क्षेत्रफल

- क्षेत्रफल जतिना अधिक होता है, सरकार के लिये व्यय की आवश्यकता भी उतनी ही अधिक होती है।

वन और पारसिथितिकी

- इसका आकलन सभी राज्यों के कुल सघन वन क्षेत्र में प्रत्येक राज्य के सघन वनों की सापेक्ष भागीदारी से कया जा सकता है।

आय-अंतर

- आय-अंतर अधिकतम सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) वाले राज्य तथा कसिी अन्य राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के अंतर का प्रतिनिधित्व करता है।
- अंतर-राज्यीय समानता बनाए रखने के लिये कम प्रत वियक्त आय वाले राज्यों को अधिक हसिसेदारी दी जाएगी।


जनसांख्यिकीय प्रदर्शन

- यह जनसंख्या को नयितरति करने के राज्यों के प्रयासों को पुरस्कृत करता है।
- इस मापदंड की गणना वर्ष 1971 की जनसंख्या के आँकड़ों के अनुसार, प्रत्येक राज्य के कुल प्रजनन अनुपात (TFR) के व्युत्क्रम (रेसपिरोकल) के आधार पर की गई है।
 - वर्ष 1971 की जनगणना के बजाय वर्ष 2011 की जनगणना के आँकड़ों का उपयोग हस्तांतरण में भेदभाव को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की आशंकाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से किया गया है।
- कम प्रजनन अनुपात वाले राज्यों को इस मापदंड में अधिक अंक प्राप्त होंगे।
 - **कुल प्रजनन दर (TFR):** किसी एक वशिष्ट वर्ष में प्रजनन दर का अभिप्राय प्रजनन आयु (जो कि आमतौर पर 15 से 49 वर्ष के बीच मानी जाती है) के दौरान एक महिला से जन्म लेने वाले अनुमानित बच्चों की औसत संख्या को दर्शाता है।

कर संग्रह के प्रयास:

- इस मापदंड का उपयोग उच्च कर संग्रह दक्षता वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिये किया गया है।
- इसकी गणना प्रतिव्यक्ति कर राजस्व एवं वर्ष 2016-17 और 2018-19 के बीच तीन-वर्ष की अवधि के दौरान प्रतिव्यक्ति राज्य जीडीपी अनुपात के रूप में की गई है।

Revenue-sharing formulas in the 14th and 15th Finance Commissions



*17.5% weightage according to 1971 population and 10% by 2011 population
Source: Finance Commission reports

Scroll.in

स्रोत: पी.आई.बी.